भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली – 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO. 1-6/Renewal/2021-INC

Dated:- 11 OCT 2021

Circular

Sub:- Necessity for all the Nursing Institutions to frequently Login to the "Institution Login" to ascertain the status regarding.

Under the e- initiative, INC has made the process of examination of suitability, under section 13 & 14 of the INC Act, of fresh proposals, proposal for enhancement of seats, renewal of annual affiliation etc; completely online for the convenience of all the participating institutions. The User manual and demonstration video has also been posted under the institute login for the guidance of institutions. The objective of online process is that after submission of proposal, intimation of status of proposal should be available to the institutions online itself after logging in with their institutional id and login pass word. **After examination of proposals, INC sends the outcome online through formal letter so that the concerned institution could download the communication after logging in. In case the letter is reg deficiencies they can submit the compliances also online without any separate communication to INC**.

However it has been observed that after submitting the application online for renewal of Suitability/first application etc**; most of the Nursing Institutions are not Logging in to ascertain whether any online reply has been received from Indian Nursing Council (INC) conveying the status regarding deficiencies/suitability**. Instead of institutional Login, emails are sent to Secretary/Joint Secretary in nodalofficer@gov.in seeking the status of the application which causes unnecessary delay and repetition of work in INC.

It is brought to the notice of all nursing institutions that h**enceforth, they may keep logging in frequently, after submission of the online application, to ascertain whether any online communication has been received back from INC. Enquiries in any mode reg. status of proposal will not be entertained in this regard.**

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ.सं. 1–6/नवीकरण/2021–आईएनसी

दिनांक: 11 OCT 2021

परिपत्र

विषयः– सभी नर्सिंग संस्थानों के लिए आवश्यक है कि वे अद्यतन स्थिति का पता लगाने के लिए "इंस्टीट्यूशन लॉग–इन" में बार–बार लॉग–इन करें, के संबंध में

ई–पहल के तहत, भारतीय उपचर्या परिषद् ने सभी प्रतिभागी संस्थानों की सुविधा के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत नए प्रस्तावों, सीटों की वृद्धि के प्रस्तावों, वार्षिक संबद्धता के नवीनीकरण आदि के लिए उपयुक्तता की जांच की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। संस्थानों के मार्गदर्शन और सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका और प्रदर्शन वीडियो भी संस्थान लॉग–इन के तहत उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, प्रस्ताव की स्थिति की अद्यतन सूचना संस्थानों को उनकी संस्थागत आईडी और लॉग–इन पास वर्ड के साथ लॉग–इन करने पर ऑनलाइन ही उपलब्ध होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच के बाद, भारतीय उपचर्या परिषद् औपचारिक पत्राचार के माध्यम से ऑनलाइन परिणाम भेजता है ताकि संबंधित संस्थान लॉग–इन करने के बाद औपचारिक पत्र को डाउनलोड कर सके। यदि पत्र संस्थान में कमियों के बारे में हैं तो ऐसे संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद् को बिना किसी अलग संचार के अपना अनुपालन ऑनलाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

तथापि यह देखा गया है कि उपयुक्तता के नवीनीकरण/प्रथम आवेदन आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद; अधिकांश नर्सिंग संस्थान यह पता लगाने के लिए लॉग–इन नहीं करते हैं कि क्या भारतीय उपचर्या परिषद् (आईएनसी) से कोई ऑनलाइन उत्तर प्राप्त हुआ है जो संस्थान में कमियों अथवा उपयुक्तता के संबंध में अद्यतन स्थिति को दिखालाता हो। संस्थागत लॉग–इन करने के बजाय, आवेदन की अद्यतन स्थिति जानने के लिए nodalofficer@gov.in पर सचिव/संयुक्त सचिव को ई–मेल भेजे जाते हैं जिससे भारतीय उपचर्या परिषद् कार्यालय में अनावश्यक देरी और काम की पुनरावृत्ति होती है।

सभी नर्सिंग संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अब से, वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यह पता लगाने के लिए कि क्या भारतीय उपचर्या परिषद् से कोई ऑनलाइन संचार वापस प्राप्त हुआ है, बार–बार लॉग–इन करते रहें। इस संबंध में प्रस्ताव की स्थिति के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से की गई पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

सर्वजीत कौर
लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर
सचिव

भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO.22-10/NRTS/2019-INC Dated:- 31 DEC 2021

Notification

Sub:-Enrolment of all the Faculty Members/Students from all the Nursing Institution in the Nurses Registration and Tracking System (NRTS) who have <u>NOT</u> enrolled in NRTS.

Indian Nursing Council in association with all the State Nursing Registration Councils (SNRCs) implementing NRTS across the country to achieve a "Live Register of Nurses". As envisaged by National Health Authority (**Ayushman Bharat Digital Mission**), Ministry of Health and Family Welfare, this will become one of the key components of this mission. Therefore all the trained Nurses are directed to enrol themselves into NRTS.

Accordingly, it is decided that all the Nursing Institutions who are seeking the suitability under Section 13 & 14 of the INC Act 1947 have to mandatorily enroll their Faculty Members and Students of P.B.B.Sc. (N), M.Sc. (N), NPCC and Post Basic Diplomas in the NRTS and get their Nurses Unique Identity Number (NUID) from the respective SNRCs. For enrolling in the NRTS the Faculty Members/Students can enroll by logining into NRTS portal (https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in/login.nic) and upload the required documents such as all the certificates, photograph and Aadhar Authentication through OTP received on Aadhar linked mobile number. NUID number of faculty members and students as mentioned above is mandatory requirement for the proposals to the suitability be accepted for the year **2022-2023**.

Therefore, henceforth all the Nursing institutions may make it mandatorily to obtain NUID No. for the faculty before they join their institutions and also make existing faculty to obtain their NUID No. without fail.

Yours faithfully,

(K S Bharati)
Joint Secretary

Circulation

1. Vice Chancellor of All Universities
2. Registrar, All State Nursing Councils
3. Principal of All Schools/Colleges of Nursing
4. INC Website

भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

फा.सं. 22–10/एनआरटीएस/2019–आईएनसी

दिनांक: 31 DEC 2021

अधिसूचना

विषयः– **ऐसे सभी नर्सिंग संस्थानों के सभी संकाय सदस्यों/छात्रों का नर्स पंजीकरण तथा ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) में नामांकन के संबंध में, जिन्होंने अभी तक एनआरटीएस में नामांकन नहीं कराया है**

भारतीय उपचर्या परिषद् "नर्सों का लाइव रजिस्टर" तैयार करने के लिए, सभी राज्य उपचर्या पंजीयन परिषदों (एसएनआरसी) के सहयोग से देश भर में नर्स पंजीकरण तथा ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) लागू कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **(आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन)**, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार, यह इस मिशन के प्रमुख घटकों का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। इसलिए सभी प्रशिक्षित नर्सों को एनआरटीएस में अपना नामांकन कराने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी नर्सिंग संस्थानों, जो भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्तता प्राप्त करना चाहते हैं, को अनिवार्यतः अपने सभी संकाय सदस्यों और पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग), एम.एससी. (नर्सिंग), एनपीसीसी तथा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों का नामांकन एनआरटीएस में कराना होगा और संबंधित एसएनआरसी से उनका नर्स यूनिक आइडेंटिटी नंबर (एनयूआईडी) लेना होगा। सभी संकाय सदस्य/छात्र एनआरटीएस में नामांकन के लिए एनआरटीएस पोर्टल https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in/login.nic पर लॉग इन करके नामांकन कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ तथा आधार प्रमाणीकरण आधार से लिंक हुए आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार, **वर्ष 2022–2023** के लिए उपयुक्तता के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संकाय सदस्यों और छात्रों का एनयूआईडी नंबर होना अनिवार्य है।

अतः, अब से सभी नर्सिंग संस्थानों द्वारा अपने संस्थानों में नए संकाय सदस्यों के लिए सेवाभार ग्रहण करने से पहले, और साथ ही संस्थानों में पहले से कार्यरत सभी संकाय सदस्यों के लिए एनयूआईडी नंबर लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

भवदीया,

के.एस. भारती
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति
2. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
3. सभी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य
4. भारतीय उपचर्या परिषद् की वेबसाइट